बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2024 1670 पटना, दिनांक :– 18/05/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 03 दिनांक 05.01.2026 द्वारा श्रीमती श्वेता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12654) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये माह जुलाई, 2025 से लगातार अनुपस्थित हैं, जिसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 410 दिनांक 06.02.2026 द्वारा श्रीमती श्वेता से साक्ष्य सहित 07 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा समाप्ति संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

इसी क्रम में पुनः बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 418 दिनांक 13.04.2026 द्वारा इनके विरूद्ध योगदान नहीं किये जाने का प्रतिवेदन देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत चूंकि श्रीमती श्वेता माह जुलाई, 2025 से ही लगातार अनुपस्थित हैं एवं अनुपस्थिति के संबंध में निदेशालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण तथा कोई साक्ष्य भी समर्पित नहीं किया जा रहा है। यदि ये अस्वस्थ्य हैं, तो इनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निदेश का पालन न करना इनके मनमानेपन, आदेशोल्लंघन को परिलक्षित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं। श्रीमती श्वेता के इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें आवंटित ग्राम का कार्य बाधित हुआ है। इसके बावजूद इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसकी अवहेलना की गयी है। ऐसे नियोजित कर्मियों के संविदा में रहने से इसका प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन / अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत श्रीमती श्वेता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12654) का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

Suharsh 18/05/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)सं0आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2024 1670 **पटना, दिनांक** :– 18/05/2026

प्रतिलिपि :– श्रीमती श्वेता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12654), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

Subhash 18/05/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)सं0आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2024 1670 **पटना, दिनांक** :– 18/05/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subhash 18/05/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)सं0आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2024 1670 **पटना, दिनांक** :– 18/05/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Subhash 18/05/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप